सुनवाई

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद रखा फैसला सुरक्षित

कार्यकाल समाप्त होने पर की जाये नये राज्यपाल की नियुक्ति

जबलपुर। प्रदेश में नये राज्यपाल की नियुक्ति किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि वर्तमान राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक तथा जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है।

जबलपुर निवासी जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ एम ए खान व अन्य की तरफ से दायर की गयी जनहित याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 155 में उनकी नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदेश के राज्यपालों की नियुक्ति की जायेगी। राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण किया था। उनकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की गयी थी। उनका कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को पूर्ण हो गया है। वर्तमान में अभी तक प्रदेश के नये राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गयी है। पूर्व में ऐसी परिस्थिति में संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल का प्रभार दिया गया था। याचिका में राष्ट्रपति के सचिव, केंद्रीय विधि मंत्रालय, राज्यपाल के सचिव को अनावेदक बनाया गया है। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किये है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अजय रायजादा व अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने पैरवी की।

एक हजार करोड़ से अधिक के आउटसोर्स मैनपॉवर टेंडर पर हाईकोर्ट की रोक

तकनीकी मूल्यांकन में क्षेत्रीय अनुभव के मापदंड को चुनौती

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नौ लाट में आउटसोर्स मैनपॉवर उपलब्ध कराने के लिए जारी निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक रूसिया की युगलपीठ ने यह अंतरिम आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें निविदा की तकनीकी मूल्यांकन और बराबरी की स्थिति में निर्णय के लिए तय मापदंडों को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता एजेंसी उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेस, भोपाल की ओर से अधिवक्ता राम बिहारी गौतम, रमनदीप सिंह भाटिया, देव प्रकाश सिंह, प्रेमेन्द्र सिंह व शुभम शुक्ला ने पैरवी की। उन्होंने दलील दी कि निविदा में क्षेत्रीय बोलीदाता के अनुभव के लिए प्रतिबंधात्मक मापदंड तय किए गए हैं, जबकि देशभर में प्राप्त समान अनुभव को तकनीकी मूल्यांकन में उचित महत्व नहीं दिया गया। याचिका में पांच अगस्त 2026 के उस संशोधन आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से 31 जुलाई को प्रस्तुत पूर्व-बोली आपत्ति को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार वह पिछले तीन वर्षों से विद्युत वितरण कंपनी के लिए तकनीकी और गैर-तकनीकी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। उसका दावा है कि कार्य के दौरान उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिले हैं।

इसके बावजूद नई निविदा में ऐसे तकनीकी मापदंड रखे गए, जिनसे उसे प्रतिस्पर्धा से बाहर किए जाने की आशंका है। याचिका में यह भी कहा गया है कि निविदा में तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त अंक महत्वपूर्ण हैं, जबकि मूल्य बोली निर्धारित है। ऐसे में तकनीकी अंकों और बराबरी की स्थिति में अपनाए जाने वाले मापदंडों का निविदा के परिणाम पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने इन मापदंडों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत बताया है।

अब आ गया है राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों का उचित स्थान बहाल करने का समय : शैलेन्द्र दुबे

नवभारत,जबलपुर। आज के इंजीनियर प्रतिभा, तकनीकी दक्षता या समर्पण में किसी से कम नहीं हैं। जो चीज कमजोर हुई है, वह है संस्थागत सम्मान। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, रेलवे या राज्य विद्युत उपक्रमों में कार्यरत इंजीनियरों की तकनीकी सिफारिशों को अक्सर ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खारिज, विलंबित या कमजोर कर दिया जाता है, जिनके पास संबंधित विषय का तकनीकी प्रशिक्षण बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। अब राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों का उचित स्थान बहाल करने का समय आ गया है। ये बातें ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहीं हैं। इस संबंध में शैलेंद्र दुबे ने ये भी कहा कि देश हर वर्ष 15 सितंबर को भारत सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद करता है—एक ऐसे इंजीनियर को, जिनके बनाए बांध, जलाशय और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं एक सदी से भी अधिक समय बाद आज भी देश की सेवा कर रही हैं। यह दिन आधुनिक भारत के निर्माता इंजीनियरों के सम्मान का अवसर है।

पीएचक्यू से जांच रिपोर्ट मिलने पर 13 साल बाद एफआईआर

व्यापम आरक्षक भर्ती परीक्षा : अंगूठे के निशान नहीं मिले तो खुला फर्जीवाड़ा

जबलपुर। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की वर्ष 2013 में आयोजित आरक्षक चयन परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का राज अभ्यर्थी के अंगूठे के निशान नहीं मिलने पर खुला। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय से मिलने के बाद माढ़ोताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई 13 साल बाद हुई है। दरअसल अपनी जगह दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी के अंगूठे के निशान ओएमआर शीट पर मिले निशान से अलग मिले। लंबी जांच पड़ताल के बाद अब मप्र परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार सात अप्रैल 2013 को आरक्षक चयन परीक्षा आयोजित हुई थी। माढ़ोताल स्थित एक निजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया जहां विवेक सिंह ने अपनी जगह सॉल्वर को परीक्षा देने भेजा था। परीक्षा के दौरान सॉल्वर के अंगूठे के निशान भी लिए गए थे। परीक्षा परिणाम में विवेक का चयन हो गया था। चयन प्रक्रिया के दौरान पुलिस मुख्यालय ने विवेक के अंगूठे के निशान लिए, जो संदिग्ध मिले। इसके बाद उसे एसएएफ की सागर स्थित दसवीं बटालियन भेजा गया था और अंगुलियों के निशान की जांच कराई गई गई थी। जांच में ओएमआर शीट पर मिले अंगूठे के निशान और विवेक के निशान का मिलान नहीं हुआ। इससे परीक्षा में सॉल्वर बैठाए जाने का फर्जीवाड़ा सामने आया था। मामले में एसआईटी गठित हुई थी । पूरी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एफआईआर के लिए प्रतिवेदन जबलपुर पुलिस को भेजा गया था जिसके बाद अब माढ़ोताल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

इनका कहना है

व्यापम परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच एसआईटी ने की है। जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय से मिलने पर अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

वीरेन्द्र सिंह पवार, टीआई, माढ़ोताल

हर माह अपील प्रकरण सुनेंगे सीजीएसटी आयुक्त

जबलपुर। सीजीएसटी अपील आयुक्त शैलेंद्र कुमार के जबलपुर आगमन पर टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत किया और हर माह भोपाल से जबलपुर आकर सीजीएसटी अपील प्रकरणों की सुनवाई करने की प्रतिबद्धता के लिए आभार जताया। इस दौरान आयुक्त ने टैक्स बार सदस्यों से लंबित अपील प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि जबलपुर में प्रकरणों की सुनवाई होने पर अधिवक्ता और करदाता अपने लंबित मामलों को प्राथमिकता से प्रस्तुत कर उनका निराकरण कराएं। टैक्स बार एसोसिएशन के प्रयासों से सीजीएसटी विभाग के आयुक्त और अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी अब प्रतिमाह अपील प्रकरणों की सुनवाई के लिए जबलपुर पहुंच रहे हैं। इससे जबलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के व्यापारियों और उनके कर सलाहकारों को अपील मामलों के लिए भोपाल आने-जाने की परेशानी से राहत मिली है। इस अवसर पर टैक्स बार एसोसिएशन अध्यक्ष शिशिर नेमा, महासचिव गोपाल तंतुवाय, सचिव रूपेश गुप्ता व निशांत विश्वकर्मा तथा बोर्ड सदस्य सुनील गुप्ता, पंकज अग्रवाल और मनीष मोदी उपस्थित रहे।

शातिर लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे

जबलपुर। तिलवारा पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रोहित सिंह लोधी निवासी तेवर भेड़ाघाट के साथ लम्हेटा वायपास चौराहा में चौकीताल निवासी गोलू उर्फ अर्पित पटैल ने मारपीट की थी। 800 रूपये नगद, मोबाइल लूटा था। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। टीआई बृजेश मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए केशर बस्ती मोड़ पर दबिश देते हुये आरोपी अर्पित उर्फ गोलू पटैल पिता मुन्नालाल लोधी 29 वर्ष निवासी ग्राम चौकीताल भेड़ाघाट को दबोचा गया । जिसकी निशादेही पर आरोपी के कब्जे से लूटे हुये 800 रूपये व आईफोन मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त की गई।

रील के चक्कर में थार में लहराई थी पिस्तौल, पुलिस ने दबोचा

जबलपुर। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ाना एक युवक को भारी पड़ गया। अधारताल पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक रील पर कार्रवाई करते हुए चलती थार कार में हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से रील में इस्तेमाल की गई पटाखे वाली नकली पिस्तौल और एक अवैध धारदार चाकू बरामद किया गया है।

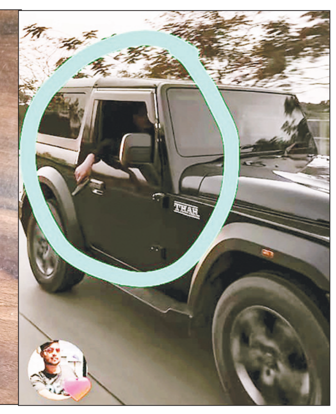

अधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो मिला था, जिसमें एक युवक चलती हुई थार कार में सरेआम शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने रील की गंभीरता को देखते हुए कार के नंबर के आधार पर उसके मालिक को ढूंढ निकाला। जब कार मालिक से संपर्क कर वीडियो दिखाया गया, तो उन्होंने युवक की पहचान अपने बेटे के दोस्त अमन सचदेवा (18) निवासी आलोक नगर के रूप में की। जिसके बाद पुलिस ने अधारताल मेन रोड पर घेराबंदी कर उसे दबोच लिया । पुलिस अभिरक्षा में आते ही आरोपी का रील वाला टशन हवा हो गया। पूछताछ में अमन ने कबूल किया कि उसने दिवाली के दौरान अपने दोस्त की थार कार मांगकर चलाई थी और उसी दौरान पटाखे फोड़ने वाली नकली पिस्तौल से रील बनाई थी। इसके साथ ही आरोपी ने यह भी स्वीकारा कि उसने एक अज्ञात राहगीर से 1200 में एक बटनदार धारदार चाकू खरीदा था।

एक नजर में

रवि शर्मा बने जिला मीडिया प्रभारी

जबलपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से

महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने संगठन के शेष छह जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रवि शर्मा को जिला मीडिया प्रभारी, नरेश चौधरी को सह मीडिया प्रभारी, सुंदर अग्रवाल को जिला प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान को जिला प्रचार मंत्री, राजेश रोहरा को कार्यालय प्रभारी और राहुल तिवारी को सह कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। रवि शर्मा इससे पहले जिला सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संगठन ने उनके अनुभव और कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, विधायक अशोक रोहाणी व अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा नेताओं, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दीं। प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रीकान्त साहू ने बताया कि नई नियुक्तियों से महानगर में संगठनात्मक और प्रचार गतिविधियों को और गति मिलने की उम्मीद है।

पेचकस से युवक पर वार

जबलपुर । बेलबाग थाने में नदीम अहमद निवासी बेलबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह श्री जी कलेक्शन नबाब जैन की दुकान नरधैया में सेल्समैन का काम करता है उसके साथ मोन्टी खान, अहमद अंसारी, सोनू खान एवं मोहम्मद सलमान भी सेल्समैन का काम करते है मंगलवार दोपहर 1 बजे ग्राहक चलाने की ऊपर से मोहम्मद सलमान उससे बहसबाजी करते हुए विवाद किया। बंडल काटने वाला पेंचकस निकालकर उसके सिर, बांये हाथ एवं सीने में मारकर चोट पहुंचा दी।

अंतिम विदाई बनी मानवता की मिसाल, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

नवभारत,जबलपुर। किसी व्यक्ति का जीवन समाज के लिए प्रेरणा बने और मृत्यु के बाद भी उसका शरीर मानवता के काम आए, तो ऐसी विदाई अपने आप में अनुकरणीय बन जाती है। जबलपुर में संत रामपाल जी महाराज की शिष्या रामबाई के देहदान ने सेवा और मानवता की इसी भावना को सामने रखा। रामबाई, पत्नी स्वर्गीय रामचरण, निवासी गुरैयाघाट, मंडला रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश, के निधन के पश्चात उनके परिवार ने उनका देहदान करने का सराहनीय निर्णय लिया। उनका देहदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में किया गया। देहदान के बाद रामबाई के पार्थिव शरीर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर को सौंपा गया। इस अवसर पर उन्हें सम्मानपूर्वक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सम्मान उनके देहदान और परिवार द्वारा लिए गए सेवा-भाव से जुड़े निर्णय के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक रहा।

परिजनों ने मेडिकल कॉलेज को समर्पित की देह- रामबाई के पुत्र रामरतन महोबिया, संतोष महोबिया और प्रीतम महोबिया ने देहदान की प्रक्रिया में सहयोग करते हुए अपनी माता के पार्थिव शरीर को चिकित्सा शिक्षा एवं शोध के लिए मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया। देहदान के माध्यम से चिकित्सा विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना और शरीर विज्ञान को समझने में महत्वपूर्ण शैक्षणिक सहायता मिलती है।

अंजुमन इस्लामिया का 150 वां स्थापना दिवस आज

नवभारत,जबलपुर। देश की 150 वर्ष पुरानी शैक्षणिक संस्थान की सूची में अब अंजुमन इस्लामिया वक्फ जबलपुर ने शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया है इसके संस्थापकों ने आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व शनिवार दिनांक 16 सितंबर 1876 को इसकी आधारशिला रखी थी और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने समाज के सुपुर्द कर दिया । संस्थापकों के साले शबाब के लिए बुधवार 16 सितंबर को अंजुमन इस्लामिया शाला की समस्त शाखों में सुबह 9 :00 बजे से कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया है।

काउंसलिंग कोर्स की बढ़ी मांग

रोजगार की संभावनाओं के चलते पीजी डिप्लोमा में बढ़ रहा युवाओं का रुझान

नवभारत , जबलपुर । रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कौशल विकास संस्थान द्वारा संचालित पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। पाठ्यक्रम की शुरुआत में 30 सीटें स्वीकृत थीं। विद्यार्थियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 30 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई थीं। अब सभी 60 सीटें भर चुकी हैं। इसके बाद भी प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की मांग बनी हुई है, जिसे देखते हुए 20 और सीटें बढ़ाई गई हैं।

रोजगार के अवसरों ने बढ़ाई रुचि

कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि काउंसलिंग के क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता की अच्छी संभावनाएं हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉ. मीनल दुबे ने कहा कि एक

वर्षीय पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। विद्यार्थियों को काउंसलिंग की सैद्धांतिक जानकारी के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रैक्टिकल विजिट से समझ रहे काउंसलिंग

डॉ. अजय मिश्रा ने बताया कि विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय जेल, वृद्धाश्रम सहित अन्य संस्थानों का भ्रमण कराया जाता है। इससे उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों और लोगों की जरूरतों को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है।

शहीदों को नमन करने आएंगे मुख्यमंत्री डॉ . यादव

जबलपुर । 18 सितंबर को गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को गोंडवाना चौक स्थित प्रतिमा स्थल पहुंचकर जायजा लिया ।

कलेक्टर सिंह ने प्रतिमा स्थल के आसपास साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने समाज के पदाधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की।

प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचते पान दुकान संचालक गिरफ्तार

जबलपुर। कैंट पुलिस ने सदर चौपाटी स्थित एक पान दुकान पर दबिश देकर अवैध रूप से बेची जा रही प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। पुलिस ने मौके से दुकान संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

कैंट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र पटले ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सदर कैंट चौपाटी स्थित दुकान नंबर 29 का संचालक अपनी दुकान से प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक पेप (ई-सिगरेट) अवैध रूप से बेचकर अवैध धन लाभ कमा रहा है। सूचना दबिश दी। दुकान संचालक राजा चौधरी (29), निवासी पुरानी बस्ती कजरवारा, गोराबजार को पकड़ा गया। तलाशी लिए जाने पर आरोपी के कब्जे से विभिन्न कंपनियों की 5 प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद हुईं।

निरीक्षण

निगमायुक्त ने सिविल लाइन, घंटाघर और मालगोदाम चौक का किया निरीक्षण

व्यवस्थाओं को नागरिक-अनुकूल बनाने के दिए निर्देश

नवभारत, जबलपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, स्वच्छता मानकों को बेहतर करने और नागरिकों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने मंगलवार को शहर के प्रमुख और व्यस्ततम क्षेत्रों सिविल लाइन, घंटाघर और मालगोदाम चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में गति लाने और व्यवस्थाओं को अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने के कड़े व आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित विभागीय प्रमुखों के साथ पैदल भ्रमण कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने, अतिक्रमण हटाने और सड़कों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही घंटाघर और मालगोदाम चौक जैसे क्षेत्रों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने और नालियों की सफाई कराने के निर्देश दिए।

लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त

इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित लंबित कार्यों को तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करें।

तय समय सीमा में कार्यों को पूरा करें : निगमायुक्त

शहर की पेयजल व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और सुचारू बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा अमृत 2.0 जल प्रदाय एवं सीवर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान निगमायुक्त ने परियोजनाओं के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों जैसे इंटेक वेल का निर्माण, रॉ वाटर एवं क्लियर वाटर राइजिंग मेन लाइन बिछाने, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तथा अन्य सहायक संरचनाओं एवं सीवर कार्यों की वर्तमान भौतिक एवं तकनीकी प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित निगम अधिकारी, पी.डी.एम.सी. की टीम और निर्माण ठेकेदार आपस में निरंतर संवाद बनाए रखें और आ रही व्यावहारिक बाधाओं को त्वरित रूप से दूर करें।

शोधार्थियों के सपनों का जीवंत केंद्र बनेगा शोध पुस्तकालय

नवभारत,जबलपुर। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जब विश्वविद्यालय परिसर में नानाजी देशमुख शोध पुस्तकालय का भव्य उद्घाटन सम्पन्न हुआ। यह पुस्तकालय केवल ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि युवा शोधार्थियों के सपनों और राष्ट्र-चिंतन का जीवंत केंद्र बनेगा।

कब्जा नोटिस

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) ('उक्त अधिनियम') के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता, गारंटर, बंधककर्ता को राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और जबकि इसके बाद, IIFL-HFL ने दिनांक 30-11-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और लाभ, जो IIFL-HFL बैंक द्वारा उधारकर्ता/गारंटर को ऋण प्रदत्त सुविधाओं से उत्पन्न हुए हैं, साथ ही अंतर्निहित अचल संपत्ति को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं, जो आर्सिल आर्सिल ट्रस्ट - 2026 - 015 के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, सुरक्षा रसीद धारकों के लाभ के लिए 2025 . अत :, उक्त आवंटन के मद्देनजर, आर्सिल अब आईआईएफएल-एचएफएल के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और आर्सिल को ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के विरुद्ध सभी प्रकार की कार्यवाही शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों और लाभों को लागू करने का अधिकार होगा, जिसमें ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा ली गई वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित और निर्मित गारंटी और सुरक्षा हित को लागू करना भी शामिल है .

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, आर्सिल के अधिकृत अधिकारी, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर 'जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है' के आधार पर कब्जा कर लिया है, नीचे उल्लिखित तिथि से :-

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया .... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री नीरज कोरी श्री मुन्ना लाल श्रीमती सुनीता कोरी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10116003)	हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिलहरी, दुर्गावती नगर, ईडब्ल्यूएस संख्या 100 (अटल आश्रय योजना), तहसील एवं जिला जबलपुर, 482020 की वह संपत्ति . क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र . संपत्ति का क्षेत्रफल : 430 .00, 280 .00 .	रुपये 671928 .41 (रु . छह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ अट्ठाइस और पैसा इकतालीस मात्र)	06/01/ 2026	10/09/ 2026
श्री सत्यम सिंह परमार श्री राजेंद्र सिंह परमार श्रीमती उषा सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10180972)	वह संपत्ति : प्लॉट संख्या 32, स्टार ग्रीन सिटी, आरएनएम खमारिया, तहसील और जिला जबलपुर 482005 पर स्थित मकान . क्षेत्रफल वर्ग फुट में : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, बिक्री योग्य क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र . संपत्ति का क्षेत्रफल : 800 .00, 800 .00, 700 .00 I	रुपये 1295194 .40 (रु . बारह लाख पिंच्यानवे हजार एक सौ चौरानवे और पैसा चालीस मात्र)	06/01/ 2026	10/09/ 2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्सिल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्सिल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे . ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं . अचल संपत्ति .

स्थान : जबलपुर, दिनांक 16-9-2026

हस्ता . अधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पूर्व) मुंबई-400028, दूरभाष : +91 2266581300, वेबसाइट : www.arcil.com